समक्षः रिटर्निंग ऑफिसर,

द्विवार्षिक राज्य सभा निर्वाचन 2020, लखनऊ, उ0प्र0।

संदर्भः श्री प्रकाश बजाज, स्वतंत्र प्रत्याशी के नामांकन के विरुद्ध आपत्तियों का निस्तारण।

आदेश

आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के दौरान समस्त प्रत्याशियों तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को नामांकन पत्रों का परिशीलन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। श्री प्रकाश बजाज, जिन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया है, उनके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से लिखित आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय में विस्तृत रूप से अपने तर्क भी प्रस्तुत किए गए। श्री प्रकाश बजाज के नामांकन पत्र के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं:–

1– यह कि श्री प्रकाश बजाज द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र में क्रमांक संख्या–3 पर वर्णित प्रस्तावक का नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची (निर्वाचक नामावली) में वर्णित नहीं है, अतः इस आधार पर नामांकन पत्र निरस्त होने योग्य है।

28.10.2020

2– यह कि श्री प्रकाश बजाज द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया प्ररूप 26 निर्धारित प्ररूप के अनुसार नहीं है, इस संबंध में आपत्तिकर्ताओं द्वारा इस पर बल दिया गया है कि निर्धारित प्ररूप 26 के भाग 'क' के क्रम संख्या–1 में श्री बजाज द्वारा "भारतीय जनता पार्टी" का नाम लिखकर निरस्त किया गया है जबकि मूल प्ररूप में एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ने वाले प्रत्याशी को यह स्थान खाली छोड़ना चाहिए। "भारतीय जनता पार्टी" का नाम रिक्त स्थान पर लिखने से मूल प्ररूप में भिन्नता प्रदर्शित की गई है जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तुत नामांकन पत्र निरस्त होने योग्य है।

3– आपत्तिकर्ताओं द्वारा इस बिन्दु पर विशेष बल दिया गया है कि प्ररूप 26 के खण्ड–8 के अन्तर्गत वर्णित सूचना का कॉलम VII शपथ पत्र में उस प्रकार से वर्णित नहीं है जैसा कि निर्धारित है। इसके साथ ही प्ररूप 26 के खण्ड 8 में क्रम संख्या VIII का कोई उल्लेख नहीं है। इस आधार पर भी नामांकन पत्र को निरस्त करने की याचना की गई है। यह कहा गया है कि नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्ररूप 26 निर्धारित नियमों से भिन्न है, अतः मान्य नहीं है।

4– बहुजन समाज पार्टी की ओर से यह आपत्ति भी उठाई गई है कि प्रत्याशी श्री प्रकाश बजाज द्वारा नामांकन पत्र में वर्णित पता एवं आयु वोटर लिस्ट में वर्णित पता एवं आयु से भिन्न है।

28.10.2020

नामांकन पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नामांकन पत्र के क्रम संख्या–3 पर प्रस्तावक का नाम नवाब शाह उल्लिखित है, जबकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची में इस तरह का कोई नाम उल्लिखित नहीं है। नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में नवाब शाह के नाम को सदस्यों की सूची के क्रमांक 26 पर दर्शाया गया है जबकि सदस्यों की सूची में क्रमांक 26 के समक्ष नवाब शाह का नाम उल्लिखित नहीं है। वर्णित स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि नवाब शाह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 152 (1) तथा निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 96 (1) के अन्तर्गत बनाई गई सूची में उल्लिखित है। चूंकि श्री नवाब शाह का नाम निर्वाचन नियमावली (सदस्यों की सूची) में उल्लिखित नहीं है, अतः उनको प्रस्तावक के रूप में नहीं माना जा सकता। यह एक गम्भीर विधिक त्रुटि है क्योंकि यदि श्री नवाब शाह को प्रस्तावक के रूप में नहीं माना जाएगा तो नामांकन पत्र में मात्र 9 प्रस्तावक शेष रह जाएंगे जबकि विधिक रूप से 10 प्रस्तावकों का होना आवश्यक है।

श्री नवाब शाह के नाम के संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके नाम में त्रुटि हुई है। परन्तु यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि सदस्यों की सूची में जो नाम वर्णित नहीं है उसको नहीं माना जा सकता। यह एक ऐसी त्रुटि है जो कि नामांकन पत्र के मूल में जाती है तथा इसको संशोधित किया जाना भी सम्भव नहीं। इसके लिए पुनः नामांकन पत्र नए रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। चूंकि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय समाप्त हो गया है, अतः स्क्रूटनी के स्तर

28.10.2020

पर नया नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चूंकि श्री नवाब शाह के नामांकन को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता, अतः प्रस्तुत नामांकन पत्र में मात्र 9 प्रस्तावक ही शेष रह जाते हैं। अतः नामांकन पत्र मान्य नहीं है एवं निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों के अभाव में श्री प्रकाश बजाज का नामांकन निरस्त होने योग्य है।

जहां तक प्ररूप 26 के विषय में उठाई गई आपत्तियों का प्रश्न है, वह आपत्तियां गम्भीर प्रकृति की हैं। श्री प्रकाश बजाज द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए प्ररूप 26 के भाग 'क' के क्रमांक 1 में "भारतीय जनता पार्टी" का नाम इंगित किया गया है जो कि सर्वथा अवांछनीय एवं आपत्तिजनक है। प्ररूप 26 के मूल प्ररूप में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी का नाम इंगित नहीं है जिसको काटा जाए। मूल प्ररूप 26 में भाग 'क' के क्रमांक 1 के अन्तर्गत 'मैं' के पश्चात् स्थान रिक्त है जिसमें संबंधित प्रत्याशियों द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम लिखा जाना अपेक्षित है। चूंकि श्री प्रकाश बजाज एक स्वतंत्र प्रत्याशी हैं अतः उनके द्वारा उस स्थान पर किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिखे जाने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं थी। चूंकि उनके नामांकन पत्र में प्ररूप 26 के मूल प्ररूप से भिन्न भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखकर काटा गया है, अतः यह एक गम्भीर विधिक त्रुटि है जिसको इस स्तर पर संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है। इस त्रुटि के निवारण हेतु नवीन रूप से प्ररूप 26 प्रस्तुत किया जाना होगा जिसका समय एवं तिथि समाप्त हो चुकी हैं इस कारणवश भी श्री प्रकाश बजाज के नामांकन पत्र के साथ प्ररूप 26 पर संज्ञान लिया

28.10.2020

जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है एवं इस आधार पर प्रस्तुत नामांकन पत्र निरस्त होने योग्य है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्ररूप 26 में एक अन्य गम्भीर त्रुटि आपत्तिकर्ताओं द्वारा इंगित की गई है। श्री बजाज द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 26 में खण्ड 8 के अन्तर्गत क्रमांक VIII अंकित नहीं है तथा खण्ड 8 में जिस प्रकार से क्रमांक VII उल्लिखित होना चाहिए उस प्रकार से उल्लिखित नहीं है। प्ररूप 26 के मूल प्ररूप में खण्ड–8 के क्रमांक VII के समक्ष "कोई अन्य 'शोध्य" अंकित होना चाहिए जैसा कि श्री बजाज के नामांकत्र पत्र के साथ संलग्न प्ररूप 26 में नहीं किया गया है। इसी के साथ खण्ड–8 में क्रमांक VIII अंकित ही नहीं है। चूंकि श्री प्रकाश बजाज द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र के साथ प्ररूप 26 में एक कॉलम विलुप्त है, अतः उसके प्ररूप को विधिक रूप से मान्य नहीं माना जा सकता। यह एक गम्भीर त्रुटि है। आपत्तिकर्ताओं द्वारा इस पर बल दिया गया है कि प्ररूप 26 के खण्ड 8 के क्रमांक VIII को विलुप्त करने से श्री प्रकाश बजाज ने सूचनाओं को छिपाया है जो कि प्रस्तुत नामांकन पत्र को निरस्त करने का पर्याप्त उचित आधार है। यह एक गम्भीर त्रुटि है। चूंकि एक कॉलम प्ररूप 26 में इंगित नहीं है, अतः श्री प्रकाश बजाज का प्ररूप 26 के अन्तर्गत प्रस्तुत शपथ पत्र निर्धारित प्ररूप पर नहीं है एवं अपूर्ण है। तद्नुसार निरस्त होने योग्य है।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं0 (सिविल) 121/2008 (रिसर्जेन्स इंडिया

28.10.2020

प्रति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक 13.09.2013 को पारित आदेश में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि यदि नामांकत्र पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में कोई कॉलम या खण्ड रिक्त छोड़ दिया गया है तो नामांकत्र पत्र को निरस्त करने का यह पर्याप्त आधार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि यदि शपथ पत्र निर्धारित प्ररूप पर नहीं है तो नामांकन पत्र उस आधार पर निरस्त किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में यह भी अवधारित किया गया है कि यदि कोई सूचना प्रत्याशी द्वारा छिपाई जाती है तो वह एक गम्भीर त्रुटि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को यह दायित्व सौंपा गया है कि उसको नामांकन पत्र एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन किया जाना चाहिए और यदि नामांकन पत्र अथवा अन्य संलग्न अभिलेखों में अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर स्व–विवेक से नामांकन पत्र को निरस्त करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णित विश्लेषण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "रिसर्जेन्स इंडिया" मामले में पारित किए गए निर्णय के आलोक में श्री प्रकाश बजाज द्वारा प्रस्तुत किया गया नामांकन पत्र निरस्त होने योग्य है। आपत्तिकर्ताओं की ओर से प्रस्तावकों की संख्या तथा प्ररूप 26 के निर्धारित प्ररूप के विषय में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई हैं जिनका

28.10.2020

निवारण नवीन रूप से नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सम्भव नहीं है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक विकल्प नहीं है। आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां सारवान (Substantial) हैं एवं उनके आपत्तियों को Frivolous नहीं माना जा सकता। चूंकि प्रस्तावकों की संख्या एवं प्ररूप 26 के निर्धारित प्ररूप विधिक अपेक्षा एवं नियमों के अनुरूप नहीं हैं, अतः आपत्तिकर्ताओं द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं वह मान्य हैं एवं श्री प्रकाश बजाज द्वारा राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 की प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया गया नामांकत्र पत्र उपर्युक्त वर्णित कारणों के आलोक में एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

RETURNING OFFICER UP-CS-ELECTION BY ELECTED M.L.AS

28.10.2020

समय- साय- 3.49

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव एवं
रिटर्निंग ऑफिसर,
द्विवार्षिक राज्य सभा निर्वाचन 2020,
उत्तर प्रदेश।